

स्वीकृत्यादेश संख्या-6/एफ1-3010/17 श्र०सं०-

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक:

के०सेथिल कुमार
अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

अनौपचारिक द्वारा- वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

रूप से परामर्शित

पटना, दिनांक

विषय:

Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour-2016 के अन्तर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, बेगूसराय, कटिहार, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर जिलों के विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को भुगतान की गयी तत्काल सहायता राशि की प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ₹ 16,80,000/- (₹ सोलह लाख अस्सी हजार) मात्र बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम की स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

2. उक्त राशि ₹ 16,80,000/- (₹ सोलह लाख अस्सी हजार) मात्र वित्तीय वर्ष 2017-18 में बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के संबंध में दिनांक-17.05.2016 से लागू हो चुकी नयी संशोधित योजना Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, बेगूसराय, कटिहार, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर जिलों के विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को जिले में संधारित कॉरपस फंड से भुगतान की गयी तत्काल सहायता राशि की प्रतिपूर्ति हेतु **विषयशीर्ष 0405.37.01 अनुग्रह अनुदान** में वित्त विभाग के ज्ञापांक-ब.14/बी.सी.एफ-80/2017 दिनांक-10.01.18 के द्वारा बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गयी है ।

3. उक्त स्वीकृत राशि बजट शीर्ष खण्ड-II-8000-आकस्मिकता निधि-मुख्यशीर्ष-2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्यशीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष- 112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास, समूह शीर्ष-केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत उपशीर्ष-0405-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास (विपत्र कोड-8000- 26-2230011120405) के अन्तर्गत **विषयशीर्ष 0405.37.01 अनुग्रह अनुदान** से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय होगी ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, श्रमायुक्त, बिहार होंगे। इसकी निकासी संबंधित कोषागार/उप कोषागार से होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से ।

ह०/-

(के०सेथिल कुमार)

अपर सचिव ।


ज्ञापांक- 6/एफ1-3010/17 श्र०सं०-

579

पटना, दिनांक-

25-1-18

प्रतिलिपि- श्रमायुक्त, बिहार/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी /सभी संबंधित कोषागार/उप काषागार पदाधिकारी/श्रमायुक्त के सचिव, पटना/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-02 सरकार पक्ष/वित्त विभाग(आय-व्यय शाखा)/प्रशाखा-6(श्रमपक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(के०सेथिल कुमार)

अपर सचिव ।